International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

आधुनिकता के इस दौर में भी क्यों नहीं सुधर रही नारी की स्थिति?

राकेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश
हिंदी प्राध्यापक
दी सेंचुरी स्कूल, घरौंडा, करनाल

भले ही हम महिला सशक्तिकरण की दुहाई दें लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जैसे–2 महिलाओं को आजादी मिली है और आधुनिकता का समावेश हुआ है वैसे–2 उनके प्रति हमारे विचार संकीर्ण होते गए। हालांकि हमारे संविधान में महिला विरूद्ध अपराधों में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान लिखा है लेकिन उसके बावजूद महिला उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है। महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, बलात्कार, यातनाएँ अनैतिक व्यापार, दहेज हत्या, ऑनर किलिंग तथा यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के हरियाणा से जुड़े आंकड़े भी चौंकाने वाले रहें हैं। समाज में लोकलाज के चलते अधिकांश मामले सामने ही नहीं आ पाते हैं। असली आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

नारी सशक्तिकरण के तमाम प्रयासों के बावजूद महिलाओं की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में छेड़छाड़, दुष्कर्म, यातनाएँ, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा तथा यौन उत्पीड़न जैसे वारदातों में निरंतर वृद्धि हो रहीं है। पिछले एक साल के दौरान महिला हैल्पलाइन 1091 पर नारी उत्पीड़न की 49 हजार 309 शिकायते आई। महिला थानों में दुष्कर्म, छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में कुल 28 हजार 839 मामले दर्ज किए गए।

यह स्थिति तब है जब महिलाओं की अपराधों के विरूद्ध कानूनी संरक्षण हासिल है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर महिला अपराध में गिरावट के दावे किए जा रहें हैं पर धरातल पर स्थिति इसके विपरीत है। आंकड़े बताते हैं कि दुष्कर्म के अधिकतर मामलों में अपराधी सजा से पैसे के बल पर या राजनीति में पहचान से बच निकलते हैं। कई मामलों में तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती ही नहीं क्योंकि उनको रिपोर्ट दर्ज न करने के लिए मोटी रकम रिश्वत के रूप में मिल जाती है तो कई केसों में समाज में लोकलाज के कारण मामले को पंचायत स्तर पर ही दबा दिया जाता है। इससे नारी उत्पीड़न के सही आंकड़े उभरकर सामने नहीं आ पाते। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के मुताबिक दुष्कर्म की घटनाओं में 95 फीसद मामलों में पीडिता दुष्कर्मी को अच्छी तरह जानती–पहचानती है मगर फिर भी उसके खिलाफ मुँह नहीं खोलती। उसे भरोसा नहीं होता कि कानून या समाज दोषी को दंडित कर पाएगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट 'हिडेन इन प्लेनसाइट' ने खुलासा किया कि 15 से 19 वर्ष आयुवर्ग की 34 फीसदी विवाहित महिलाओं ने पति या साथी के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा झेली है। 79 फीसद जबरदस्ती का शिकार हुई। 21

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

फीसद ने 15 साल की उम्र में हिंसा झेली। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनके साथ शारीरिक हिंसा करने वालों में पारिवारिक सदस्य, मित्र, जान–पहचान के व्यक्ति और शिक्षक थे। 2012 के निर्भया दुष्कर्म कांड, स्वीटी हत्या कांड कुरूक्षेत्र आदि मामलों के बाद सरकार ने इन को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, व महिला थानों की स्थापना भी की गई परन्तु परिणाम संतोषजनक नहीं है। अधिवक्ता सुदेश कुमारी का कहना है कि कोई भी महिला प्रताड़ना की शिकार न हो, अगर कोई महिला प्रताड़ना की शिकार हुई है तो उसे उचित और समय पर न्याय मिले। उत्पीड़न की शिकार हुई महिला के पास सुदेश कुमारी स्वयं जाकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे आ जाती है। उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को न्याय दिलवाया है और दोषियों को सजा हुई हैं।

आज घर–2 जाकर बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं का संदेश दिया जा रहा है, मगर जब तक स्कूल–कॉलेज जाने वाली छात्राओं को सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा तो वे कैसे आगे की पढाई पूरी करेंगी? वर्ष 2002 में घटी एक घटना जो छात्रा गुरू नानक स्कूल कुरूक्षेत्र से अपने गांव जा रही थी। उस छात्रा के साथ बस में एक युवक ने अभद्र व्यवहार किया था। छात्रा ने उसका विरोध किया और अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने पुलिस में शिकायत दी, कई दिन बाद मामला दर्ज हुआ। सितंबर 2016 में कोर्ट का फैसला आया जिसमें दोषी को एक साल की कैद व सात हजार का जुर्माना हुआ। अदालत ने 14 साल तक संधर्ष करने वाली पीड़िता व उसके पिता की सराहना की। इस केस को अधिवक्ता सुरेश कुमारी ने स्वंय लड़ा था और अंजाम तक पहुंचाया था। संकीर्ण मानसिकता के कारण कुछ

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

लोग महिलाओं का शोषण करना अपना अधिकार मानते हैं। आज के समय में पुलिस महिला उत्पीड़न के केसों में कई अहम बातें छोड़ देती है, जिसका फयदा उठाकर आरोपी छूट जाते हैं। अहम बात यह भी है कि प्रताड़ना की शिकार महिलाओं के लिए हरियाणा प्रदेश के जिलें में ऐसा कोई केन्द्र नहीं है जहां वे रह संके। केवल करनाल में ही नारी निकेतन है। वहां भी सीमित संख्या में महिलाएं रह सकती है लेकिन उसमें भी नारी उत्पीड़न का मामला सामने आया था और कुछ महिला नारी निकेतन से ही गायब हो गई थी। यदि नारी निकेतन में महिलाओं की यह स्थिति है तो फिर बाहर रह रही महिलाओं की स्थिति क्या होगी? यह बात सोचने का विषय है।

साइबर सिटी में सच साबित हो रही केन्द्रीय मन्त्री मेनका गांधी की बात– बड़े प्रयासों के बाद भी हरियाणा की आर्थिक राजधारी साइबर सिटी में महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी नहीं आ रही है। शिक्षा स्तर में प्रदेश के अन्य जिलों से आगे इस जिले में चार साल की मासूम से लेकर उम्रदराज महिला के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहें हैं। सरेआम महिला की हत्या, बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म के एक नहीं कही मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे ही वारदातों से चिंतित होकर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2015 के रक्षाबंधन के दिन महिला थाना का उपहार दिया था। हालांकि प्रदेश में महिला थाना खोले जाने पर एक कार्यक्रम के दौरान यहां आई केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने तंज कसा था। उनका कहना था कि महिला थाना खोले जाने से महिलाओं के

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

प्रति अपराध कम नहीं हो जाएंगे। उनकी बात को 2015 व 2016 में हुए महिलाओं पर हुए अपराध के आंकड़े काफी हद तक सही बता रहें है।

रेवाड़ी में महिला थाना में डेढ़ साल में 2350 शिकायतें– ये आंकड़े भी हरियाणा सरकार द्वारा सख्त बनाए गए कानून की पोल खोलते है कि हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र में महिला थाना में डेढ़ साल के अंदर 2350 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन आंकड़ों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी भी महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या कम नहीं हुई है। आज के वर्तमान समय में बाहर ही नहीं बल्कि महिलाओं को घर में भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के महिला थाना की स्थापना अगस्त 2015 में हुई थी। महिलाओं के लिए थाना खुलने के बाद से शिकायतों मे लगातार बढ़ोतरी ही हो रहीं है। महिला थाना खुलने से अब तक 2350 शिकायतें आ चुकी हैं। इनमें से अधिकर शिकायतें परिवार से जुड़ी हुई है। इन शिकायतों में से 2090 शिकायातों का पुलिस द्वारा आपसी सहमति व काउंसलिग के जरिए समाधान किया गया है, जबकि 147 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 47 मामले जांच के बाद अदालत भेजे गए हैं तथा 70 मामलों की जांच अभी भी लंबित हैं। छेडछाड़, दुष्कर्म, दहेज, प्रताड़ना व दहेज हत्या के मामलों में कमी नहीं हो पाई है। ये तो थी अकेले रेवाड़ी जिले की बात बाकी 21 जिलों का भी यही हाल होगा।

पुलिस दबा देती है उत्पीड़न के केस– महिलाओं के बढते ग्राफ पर पुलिस अफसरों की जवाब तलबी से बचने के लिए महिला उत्पीड़न के मामले में पुलिस समझौता करवा देती है। या फिर मामले को खुद ही दबा देती है। बरनाला का उदाहरण

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

सामने है। यहाँ एक मामला मानवीयता की मर्यादाओं को तार–तार करने से जुड़ा होने के बावजूद पुलिस की कार्यवाई ढुलमूल रवैया रही है। महिला का मुंह काला कर जूतों की माला गले में डाल कर गांव में घुमाया गया। यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इसके बावजूद इस उत्पीड़न की घटना को पुलिस ने दबाए रखा। जब इस घटनाक्रम की यूटयूब पर वीडियों वायरल हो गई तब पुलिस अधिकारी हरकत में आए और मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्यवाही शुरू हुई। कुल नौ आरोपी गिरफतार हो चुके हैं जबकि पांच आरोपियों की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। लेकिन जब तक यह कार्यवाही हुई तब तक महिला ने गांव छोड़ दिया था। अभी महिला न्याय के लिए भटक रही है। हालांकि राज्य महिला आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन महिला संतुष्ट नहीं है।

नारी की स्थिति को सुधारने के लिए पुरूषवादी मानसिकता बदलने की जरूरत– हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल आबादी का करीब दो फीसद है। देश के विकसित राज्यों में होने के बावजूद यहाँ महिलाओं की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा टॉप राज्यों में शुमार है। इसके पीछे मुख्य कारण है पुरूषवादी मानसिकता। इसके अलावा लिंग भेद, जातीय भेदभाव, रूढिवादिता, अशिक्षा, नशाखोरी जैसे और भी कई कारण हैं। जो महिलाओं के प्रति हिंसा में इजाफा कर रहें हैं। ताजा उदाहरण खरखौदा तिहरा हत्याकांड है, जो अन्तरजातीय विवाह के कारण अंजाम दिया गया था।

हरियाणा में महिला विरूद्ध अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहें हैं। यह तो तब है जब सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे बेहतर योजनाओं पर

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म, छींटाकशी, दहेज उत्पीड़न जैसे आदि अपराध हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा के मामले अधिक सामने आए हैं। पिछले दिनों रोहतक में जो नेपाली युवती से जघन्य अपराध काण्ड हुआ, उसने तो हरियाणा की विदेशों तक छवि को खराब कर दिया था। किस तरह से मानसिक रूप से कमजोर युवती का अपहरण करने के पश्चात सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या की थी।

इस घटना के पश्चात मैं एक और घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपचाराधीन सामूहिक दुष्कर्म एवं एसिड अटैक पीड़िता महिला के बारे में है। इस महिला के कक्ष में तैनात कुछ महिला सुरक्षाकर्मी उस पीड़िता के प्रति कोई सहानुभूति न दिखाकर बल्कि अपनी सहकर्मियों के साथ एक दूसरे की सेल्फी लेने में व्यस्त दिखाई दे रहीं हैं। इन महिला पुलिसकर्मियों के बारे में जब एस.एस.पी मंजिल सैनी को इस घटना के बारे

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

में जानकारी मिली तो उन्होंने बड़ी तत्परता से दो महिला कांस्टेबल नाम रजनीबाला व डेजी सिंह को निलंबित कर दिया। जोकि भविष्य के लिए एक अच्छा कदम माना गया है।

इसके बाद उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी, महिला कल्याण मंत्री डॉ0 गीता बहुगुणा जोशी भी दिनांक 24.03.2017 दिन शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़िता को तेजाब पिलाने की घटना का अखबारों में प्रकाशित होने के बाद दोपहर करीब 12:05 बजे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पीड़िता का हालचाल पूछने पहुंचे तथा पीड़िता की नाजुक स्थिति को देखते हुए योगी ने सहायता राशि के रूप में महिला के पति को एक लाख रू0 का चेक भी सौंपा। यही नहीं योगी ने डी.आई.जी. रेलवे बलबीर सिंह से ट्रेन में हुई पूरी वारदात की रिपोर्ट मांगी है। उधर, प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए रेलवे ने शुक्रवार को ही एस्कॉर्ट में तैनात चार जवानों को निलबिंत कर दिया।

दिल दहला देने वाली वारदात के पश्चात ही कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। अब समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है। लिंग भेद और पुरूषवादी मानसिकता को खत्म कर साक्षरता को बढ़ाना होगा और इस पंक्ति को भी झूठलाना होगा – बेटा जने तो दावतों का दौर है चलता।

मातम सा छा जाता है अगर होती है बेटियां,

क्योंकि बेकद्र मेहमान सी होती है बेटियां।।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

वर्तमान समाज में महिलाओं की संख्या 1000 पुरूषों की तुलना में 879 है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए पुरूष प्रधान समाज के मिथक को तोड़ना होगा। जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती अर्थात इस अंतर को समाप्त करके ही हम नारी की स्थिति को सुधार सकते हैं।

दैनिक जागरण– 24 नवम्बर, 2016

दैनिक जागरण– 25 मार्च 2017